W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/3522 /2012/बूंदी

1– रविन्द्र कुमार आत्मज स्व0 श्री गोपाल बैरवा
2– श्रीमति बरजी बाई विधवा पत्नि श्री गोपाल बैरवा
निवासियान ग्राम देई, तहसील नैनवा, जिला बूंदी।

.....**अपीलार्थीगण/ वादीगण**

बनाम

1– बृजराज आत्मज श्री नाथूलाल जाति ब्रहामण निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बूंदी।
2– भू स्वामी राजस्थान सरकार।
3– उप पंजीयक देई जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील देई निवासी तहसील नैनवा जिला बूंदी।

..... **प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण**

खण्ड–पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य
श्री आर. सी. गुप्ता, सदस्य

उपस्थित :
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री ओंकारलाल दवे अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
श्री हगामीलाल, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 21–10–2013

1– यह द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 71/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30–03–2012 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं किः–

(1) अपीलार्थीगण/वादीगण ने प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी नैनवा (विचारण न्यायालय) में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 92ए, 53 एवं 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवा में स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 4053/1

रकबा 8 बीधा 13 बिस्वा भूमि वर्ष 1975 में अपीलार्थी संख्या–1 के पिता व अपीलार्थी संख्या–2 के पति गोपाल को आवंटित की जाकर नियमानुसार कब्जा सुपुर्द करा दिया गया था। गोपाल के साथ साथ अपीलार्थीगण/वादीगण भी विवादित आराजी पर गैर खातेदार काश्तकार व उसके बाद खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि गोपाल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी थी तथा गोपाल की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी नियमानुसार वादीगण अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है।

(2) प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अनाधिकृत तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिल कर वर्ष 1989 में 5 बीधा भूमि अपने नाम आवंटित करवा कर राजस्व अभिलेख में अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज करवा ली, जबकि आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी संख्या–1 का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है।

(3) वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि प्रत्यर्थी संख्या–1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के हक व आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप, खुर्दबुर्द बैचान आदि न करें एवं न ही उक्त भूमि की गलत तरमीम करावें।

(4) विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य एवं तनकीयात के आधार पर वादीगण/ अपीलार्थीगण का वाद निर्णय दिनांक 07–07–2011 द्वारा स्वीकार करते हुये प्रत्यर्थी संख्या–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की डिक्री पारित कर दी।

(5) विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07–07–2011 के विरुद्ध प्रथम अपील प्रत्यर्थी संख्या–1 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा/ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यहां प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–03–2012 द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–07–2011 को निरस्त करते हुये निर्देशों के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

(6) प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–03–2012 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया किः—

(1) प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील के दौरान प्रत्यर्थी संख्या—1 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करके प्रकरण को उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करके निर्णय करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जबकि न्यायिक दृष्टान्त— 2011 (2) DNJ (Raj) 539 और 2013 RRT 608 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं किया जाना चाहिये था, अपितु अपीलीय न्यायालय को स्वयं निर्णय पारित करना चाहिये था।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य की विवेचना करके निर्णय पारित किया गया था, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी भी तनकी पर विवेचना व निष्कर्षांकन नहीं किया है और केवन सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है।

(3) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 23 से 25 के प्रावधानों के विपरीत प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जबकि पत्रावली पर आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध होने पर स्वयं अपीलीय न्यायालय को प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर करना चाहिये था। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त— 2008 DNJ (SC) 138, 2007 (1) RRT 180, 2007 (1) RRT 385, RLW 2009 (2) RJ 834, 2009 (1) RRT 49, 2007 (2) RRT 895, और 2013 (3) DNJ (Raj) 1451 प्रस्तुत किये हैं।

(4) विवादित आराजी अपीलार्थीगण के पिता/पति गोपाल को नियमानुसार आवंटित की जाकर दखलनामें के साथ नक्शा भी बनाया गया था जिसमें गोपाल को आवंटित भूमि का बटा नंबर 4053/1 बनाकर तत्समय तरमीम की गई थी। प्रतिवादी प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एंव सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त भूमि की गलत तरमीम किया जाना साबित हो। अपीलार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन प्रत्यर्थी संख्या—1 से पहले का है। खसरा नंबर 4053 का रकबा 37 बीधा से ज्यादा का है जिसमें से 8 बीधा 13 बिस्वा अपीलार्थीगण के पिता को एवं बाद में 5 बीधा भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या—1 को किया गया है। जिसकी आड में वह अपीलार्थीगण के

कब्जेकाश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा इस सबंध में पत्रावली पर पेश किये गये दस्तावेजों का अवलोकर कर सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात तनकीवार निर्णय पारित किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये अपने संक्षिप्त निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तोर पर सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना कारण रहित निर्णय पारित कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय गैर कानूनी रूप से निरस्त किया है।

(5) अन्त में विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा किः—

(1) वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में कहीं पर भी विवादित आराजी की तरमीम वादीगण के पक्ष में किये जाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र में वर्णित अनुतोष से हटकर वादीगण को अनुतोष प्रदान करने में स्पष्टतः दिखने वाली त्रुटि की गयी है।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा समस्त तनकीयों पर निर्णय सहीं रूप से पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादी प्रत्यर्थी का प्रस्तुत दस्तावेजात से कब्जा बखुबी साबित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के प्रतिकूल निष्कर्ष अंकित करते हुये गैर कानूनी निर्णय पारित किया है।

(3) विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकियात की संख्या का उल्लेख किये बिना समस्त तनकिया का सारभूत रुप से निर्णय किया गया है, अतः आदेश 41 नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में ली गयी आपत्ति सारहीन है।

(5) अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण पक्षकार के कब्जे के आधार पर तरमीम करने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है।

(6) अन्त में विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में भयंकर विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7— हस्तगत द्वितीय अपील के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्यतः निम्न बिन्दु विचारणीय हैः—

(1) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उलट दिया है?

(2) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23 से 26 के प्रावधानों की अवहेलना की गयी है?

(3) क्या आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं था?

(4) क्या विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07—07—2011 विधिक प्रावधानों के विपरीत व त्रुटिपूर्ण था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना सही था?

बिन्दु संख्या—1:
क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उलट दिया है?

8— प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30—03—2011 से विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 07—07—2—2011 को अपास्त करके प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित कुल 8 विवाद्यक विरचित किये गये थे और उनमें से प्रत्येक की विवेचना साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर करते हुये निर्णय पारित किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी भी विवाद्यक पर साक्ष्य व दस्तावेज के अनुसार विवचेना नहीं की गयी है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41

नियम 31 अनुसार अपीलीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक विवाद्यक पर अपनी विवेचना व निष्कर्ष अंकित करे। विशेषकर जब अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय से असहमत हो तो विवाद्यकवार विवेचना व निष्कर्ष अंकित करना आज्ञापक है। हमारा यह मत निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्तों से समर्थित हैः–

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन्तोष हजारी बनाम पुरूषोतम तिवारी के प्रकरण AIR 2001 (3) SC 179 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> ***"The appellate Court has jurisdiction to reverse or affirm the findings of the Trial Court. First appeal is a valuable right of parties and unless restricted by law, the whole case is therein open for rehearing both on questions of fact and law. The judgment of the appellate court must, therefore reflect its conscious application of mind, and record findings supported by reasons, as all the issues arising along-with the contentions put forth, and pressed by the parties for decisions of the appellate court.***
>
> ***While reversing a finding of fact the appellate court must come into close quarters with the reasoning assigned by the trial court and then assign its own reasons for arriving at different findings. This would satisfy the court hearing a further appeal that the first appellate court had discharged the duty expected of it."***

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2001 (8) RBJ (SC) 603 में भी यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> ***"Sitting as a Court of first appeal, it was the duty of the High Court to deal with all the issues and evidence led by parties before recording its findings. It has failed to discharge the obligations placed on a First Appellate Court. The judgment under appeal is so cryptic that none of the relevant aspects have been decided is a very unsatisfactory manner. First appeal must address itself to all the issues of law and fact and decide it by giving reasons in support of the findings."***

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा RLW 2004 (4) Raj. 2358 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> ***" …. when appellate Court agrees with the view of trial Court on evidence, it need not restate effect of evidence or reiterate reason given by the trial Court."***

इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि यदि अपीलीय न्यायालय निचले न्यायालय के निष्कर्ष से भिन्न मत रखता है तो

फिर उसके लिये आर्ड़र 41 नियम 31 सीपीसी अनुसार प्रत्येक बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक है।

(4) मण्डल की खण्डपीठ द्वारा 2007 RBJ 249 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्ड़र 41 नियम 31 के ही संदर्भ में यह प्रतिपादित किया गया है किः—

"विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष निकालते हुये अपना निर्णय पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में न तो समस्त तनकियात के सम्बन्ध में साक्ष्यों का उचित रूप से विवेचन किया गया है और न ही प्रत्येक तनकी के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष ही निकलता है ...." (पेरा 11)

" ..... प्रकरण भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर, शिविर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः निर्णय करते समय सी.पी.सी. के आर्ड़र 41 रूल 31 एवं नजीरों को ध्यान में रखते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करे। ...." (पेरा 13)

उपरोक्त निर्णय करते समय विद्वान खण्डपीठ द्वारा मधुकर एवं अन्य बनाम सग्रामसिंह RBJ (8) 2001 page 603 सपठित सन्तोष हजारी बनाम पुरूषोतम तिवारी AIR 2001 (3) SC 179 का अनुसरण किया है जिसके बाबत पूर्व में चर्चा की जा चुकी है।

(5) राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के समक्ष 2011 (1) RRT 93 में विचाराधीन प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों से भिन्न निष्कर्ष निकाले गये थे। इस प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्ड़र 41 नियम 31 के संदर्भ में 2001 DNJ (SC) 433 सहित लगभग 18 न्यायिक दृष्टान्तों की विवेचना करते हुये विद्वान खण्डपीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि—

"यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय से असहमत होकर विपरीत निर्णय पारित करता है तब प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक विवाद्यक पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत होने के आधार पर साक्ष्य की विवेचना करते हुये तदनुसार निर्णय पारित करे।"

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30—03—2012 से विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते समय प्रत्येक विवाद्यक की विवेचना करके यह कारण अंकित करने चाहिये थे कि वह क्यों विचारण न्यायालय द्वारा की गयी

विवेचना व विवाद्यकवार अंकित निर्णय से सहमत नहीं है। ऐसी विवेचना के अभाव में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–03–2012 आदेश 41 नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता की अवहेलना में पारित किया गया निर्णय है।

बिन्दु संख्या–2

क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23 से 26 के प्रावधानों की अवहेलना की गयी है?

9– इस बिन्दु का विनिश्चयन करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23 से 26 के प्रावधानों का अवलोकन करना उचित समझते हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

Civil Procedure Code, 1908
Order 41 Rule 23 to 26

*"23. **Remand of case by Appellate Court**.- Where the Court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the suit on a preliminary point and the decree is reversed in appeal, or where the Appellate Court while reversing or setting aside the decree under appeal, considers it necessary in the interests of justice to remand the case, it may by order remand the case, and may further direct what issue or issues shall be tried in the case so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to the Court from whose decree the appeal is preferred, with direction to re-admit the suit under its original number in the register of civil suits, and proceed to determine the suit; and the evidence, if any, recorded during the original trial shall, subject to all just exceptions, be evidence during the trial after remand.*

***23A. Remand in other cases.-** Where the Court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the case otherwise than on a preliminary point, and the decree is reversed in appeal and a re-trial is considered necessary, the Appellate Court shall have the same powers as it has under rule 23.*

***24. Where evidence on record sufficient, Appellate Court may determine case finally.-** Where the evidence upon the record is sufficient to enable the Appellate Court to pronounce judgment, the Appellate Court may, after resettling the issues, if necessary, finally determine the suit, notwithstanding that the judgment of the Court from whose decree the appeal is preferred has proceeded wholly upon some ground other than that on which Appellate Court proceeds.*

25. Where Appellate Court may frame issues and refer them for trial to Court whose decree appealed from.- *Where the Court from whose decree the appeal is preferred has omitted to frame or try any issue, or to determine any question of fact, which appears to the Appellate Court essential to the right decision of the suit upon the merits the Appellate Court may, if necessary, frame issues, and refer the same for trial to the Court from whose decree the appeal is preferred, and in such case shall direct such Court to take the additional evidence required; and such Court shall proceed to try such issues, and shall return the evidence to the Appellate Court together with its findings thereon and the reasons therefor within such time as may be fixed by the Appellate Court or extended by it from time to time.*

26. Finding and evidence to be put on record. Objections to finding.-*(1) Such evidence and findings shall form part of the record in the suit; and either party may within a time to be fixed by the Appellate Court, present a memorandum of objections to any finding.*
(2) Determination of appeal*—After the expiration of the period so fixed for presenting such memorandum the Appellate Court shall proceed to determine the appeal.*

26-A. ***Order of remand to mention date of next hearing.-*** *Where the Appellate Court remands a case under rule 23 or rule 23A, or frames issues and refers them for trial under rule 25, it shall fix a date for the appearance of the parties before the Court from whose decree the appeal was preferred for the purpose of receiving the directions of that Court as to further proceedings in the suit."*

प्रतिप्रेषण के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन/ अध्ययन से यह जाहिर है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण को केवल प्रतिप्रेषण के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करना चाहिये, अपितु उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपील स्तर पर प्रकरण का निर्णय करना सम्भव नहीं हो तो ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिये। **जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वाद का निपटारा किसी प्रारम्भिक बिन्दु पर कर दिया गया हो और उक्त निर्णय को अपील में उलट दिया गया हो और वाद का निर्णय विचारण न्यायालय के स्तर से सभी वाद बिन्दुओं पर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आवश्यक हो, अथवा जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वाद का निपटारा प्रारम्भिक बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया गया हो और**

ऐसे निर्णय को अपील में उलट कर प्रकरण में पुनर्विचारण (re-trial) आवश्यक हो, अथवा जबकि अपील के दौरान अपीलीय न्यायालय को यह समाधान हो जावे कि विचारण न्यायालय में किसी पक्षकार को जवाब, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला है जो कि मिलना आवश्यक है, अथवा जबकि विचारण न्यायालय द्वारा किसी विवाद्यक की विरचना या विचारण या किसी ऐसे तथ्यात्मक बिन्दु के अवधारण में लोप किया गया हो जो कि वाद के ठीक प्रकार से विनिश्चयन हेतु परमावश्यक हो तो अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। किन्तु जब इनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं हो और पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य एवं दस्तावेज उपलब्ध हों तो अपीलीय न्यायालय को स्वयं उक्त साक्ष्य व दस्तावेजात की विवेचना कर निर्णय पारित करना चाहिये। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों– 2008 DNJ (SC) 138, 2007 (1) RRT 180, 2007 (1) RRT 385, RLW 2009 (2) RJ 834, 2009 (1) RRT 49, 2007 (2) RRT 895, और 2013 (3) DNJ (Raj) 1451 में यही प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय का आदेश 41 नियम 23 व 23–ए के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये। अगर पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, कोई अतिरिक्त साक्ष्य विचारण न्यायालय के स्तर से नहीं लिया जाना है और कोई नवीन विवाद्यक विरचित करके प्रकरण का पुनर्विचारण नहीं किया जाना है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात की विवेचना करके निर्णय पारित किया जाना चाहिये। इस प्रकार हमारा यह मत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय का प्रतिप्रेषण आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

बिन्दु संख्या–3:
क्या आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं था?

10– यह बिन्दु भी उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 से ही जुड़ा हुआ है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 41 नियम 27 व 28 निम्न प्रकार है:–

Civil Procedure Code, 1908
Order 41 Rule 27 and 28

*"27. **Production of additional evidence in Appellate Court***
(1) The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, in the Appellate Court, But if—
(a) the Court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or

(aa) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the decree appealed against was passed, or
(b) the Appellate Court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment, or for any other substantial cause,
the Appellate Court may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.
(2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by an Appellate Court, the Court shall record the reason for its admission."

"28. Mode of taking additional evidence:
Wherever additional evidence is allowed to be produced, the Appellate Court may either take such evidence or direct the Court from whose decree the appeal is preferred, or any other subordinate Court, to take such evidence and to send it when taken to the Appellate Court."

उपरोक्तानुसार आदेश 41 नियम 27 सपठित नियम 28 के अवलोकन से जाहिर है कि **जब अपीलीय न्यायालय गवाह अथवा दस्तावेज के रुप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो सम्पूर्ण प्रकरण को नीचे के अदालत को प्रतिप्रेषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलीय न्यायालय या तो स्वयं ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य लेगा अथवा अधीनस्थ न्यायालय को केवल उक्त अतिरिक्त साक्ष्य लेने के सीमित प्रयोजनार्थ प्रकरण भेजेगा और ऐसा अधीनस्थ न्यायालय उक्त अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण निर्णय हेतु वापिस अपीलीय न्यायालय को भेजेगा।** हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा कुछ दस्तावेजात प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ प्रस्तुत किये थे जिनमें अधिकांश राजस्व अभिलख की सत्यापित प्रतिलिपियां थी। इसके अलावा राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 5122/2011/बून्दी में पारित निर्णय दिनांक 05–08–2011 और एक आपराधिक प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र की प्रतिलिपि थीं। यह सभी दस्तावेजात ऐसे थे जिनकी विवेचना स्वयं अपीलीय न्यायालय द्वारा की जा सकती थी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) RRT 49 में परी बनाम ओंमप्रकाश के प्रकरण 2007 (1) RRT 385 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है कि– "Appellate Court has powers to decide the case instead of remanding to Court below if sufficient evidence is present on

record." उक्त परी बनाम ओमप्रकश के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–08–2006 का अनुच्छेद–8 निम्न प्रकार हैः–

> *"8. A holistic reading of these provisions clearly reveal that the Appellate Court has the same powers and can perform, as nearly as may be, the same duties as are conferred and imposed by the Code on the courts of original jurisdiction. Moreover, it has ample power to re-frame issues and to take additional evidence on those issues and to decide the case at the appellate stage itself. The power to remand a case back to the trial court is, of course, a vast power. However, the more vast the power, the more sparingly it should be used. Therefore, cases should not be remanded back to the trial court in a routine and mechanical manner.* ***If there is sufficient evidence for the Appellate Court to pronounce the judgment even if it resettles the issues, it is for the Court to finally determine the suit. While resettling the issues, under Order 41 Rule 27 and 28, the Appellate Court has sufficient power to take additional evidence at the appellate stage. Since power exists, the Appellate Court should exercise the said power.*** *In case the trial court has omitted to frame or to try any issues or to determine any question of fact, which appears to the Appellate Court to be essential for the right decision of the case or suit, the Appellate Court can frame these issues, refer them to the trial court and direct the court to take additional evidence. But, such direction must also provide a time bound frame within which the evidence should be recorded. Once the evidence is recorded, such evidence should be returned back to the Appellate Court, for the Appellate Court to decide the case. Since the Appellate Court is presided by the District Judge, a Judge who has vast experience and knowledge, he is expected to invoke the power ;under Order 41 Rule 24 and 25 C.P.C. in the first instance. It is only in the rarest of the rare case that he is expected to invoke his power under Order 41 Rule 23 and 23-A."*

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिप्रेषण के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कोई नवीन विवाद्यक विरचित किया जाना था, ना ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य ली जानी थी, अपितु दस्तावेजी साक्ष्य या तो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थी अथवा आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने के फलस्वरुप अपीलीय न्यायालय के सामने अतिरिक्त साक्ष्य के रुप में दस्तावेज आ चुके थे। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वयं अपन स्तर पर ही उक्त साक्ष्य की विवेचना करके अपील का अन्तिम निर्णय करना चाहिये था। प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का कोई

कारण नहीं था। अपीलीय न्यायालय का प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 30.03. 2012 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 सपठित नियम 28 के प्रावधानों के विपरीत है।

बिन्दु संख्या–4:

क्या विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–07–2011 विधिक प्रावधानों के विपरीत व त्रुटिपूर्ण था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना सही था?

11– विचारण न्यायालय द्वारा विरचित कुल 8 विवाद्यकों मे से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवाद्यक संख्या–1, 3 व 5 थे, जो निम्न प्रकार हैं:–

विवाद्यक संख्या–1:– आया वादी प्रतिवादी संख्या–1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वे वादपत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित भूमि पर वादीगण के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवाये, गलत तरमीम नहीं करवाये ना ही बेचान करे। (जिम्मे वादी)

इस विवाद्यक की विवेचना करते हुये विचारण न्यायालय ने सम्वत 2061–64 की जमाबन्दी प्रदर्श–1, भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श–3, आवंटन आदेश दिनांक 19–11–1975 प्रदर्श–4, कब्जा/दखल रिपोर्ट दिनांक 20–11–1975 प्रदर्श–5, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6, नकल नामान्तरकरण संख्या 160 प्रदर्श–7 आदि के आधार पर यह निष्कर्ष अंकित किया है कि वादीगण के पिता/पति गोपाल को भूमि का आवंटन किया जाकर खसरा नम्बर 4053 में से आवंटित भूभाग रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा का बटा खसरा नम्बर 4053/1 अंकित कर मौके पर कब्जा दिया गया था। हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उक्त दस्तावेजात का बारीकी से अवलोकन किया है। मूल खसरा नम्बर 4053 एक बड़ा खसरा नम्बर है जिसमें से दिनांक 19–11–1975 को 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन गोपाल को किया गया और दिनांक 20–11–1975 को उक्त बड़े खसरा के बटा नम्बर अंकित करके खसरा नम्बर 4053/1 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा का कब्जा जरिये दखलनामा प्रदर्श–5 द्वारा उक्त आवंटी गोपाल को दिया गया। प्रदर्श–6 से साबित है कि कब्जा देते समय तैयार किये गये नक्शे अनुसार उक्त 4053/1 की तरमीम भी नजरी नक्शें मे की गयी थी। दिनांक 01–12–1975 को उक्त आवंटन दिनांक 19–11–1975 के आधार पर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण प्रदर्श–7 भी आवंटी गोपाल के नाम स्वीकृत हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–1 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 4053/1 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा वर्तमान अपीलार्थीगण/ वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इससे साबित

है कि खसरा नम्बर 4053/1 की 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता/पति की विधिवत आवंटनसुदा भूमि है, जिसका उसे दिनांक 20–11–1975 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा कब्जा दिया गया था। आवंटन के बाद गैर खातेदारी से खातेदारी मिलना इस बात का प्रमाण है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता/पति और उसके बाद वादीगण का कब्जा–काश्त रहा है। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–ए–3 अनुसार प्रतिवादी ब्रजलाल की गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 4053/4 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज है जो कि आवंटन आदेश दिनांक 24–06–1989 व दखलनामा 25–07–1989 पर आधारित है। हमने प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र तहत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया है। जमाबन्दी सम्वत 2053–56 अनुसार खसरा नम्बर 4053/2 रकबा 5 बीघा रामविलास पुत्र बालमुकुन्द सुनार के नाम गैर खातेदारी में, खसरा नम्बर 4053/2 रकबा 8 बीघा भंवरलाल पुत्र हीरा रैगर की खातेदारी में, और खसरा नम्बर 4053/5 रकबा 4 बीघा नाथूलाल पुत्र कल्याण कुमावत की गैर खातेदारी में दर्ज है। वादीगण को 1975 में आवंटन हुआ था। दखलनामा प्रदर्श–3 के साथ खसरा नम्बर 4053/1 का तरमीमसुदा नजरी नक्शा प्रदर्श–6 संलग्न होना इस बात का प्रमाण है कि आवंटी गोपाल को मौके पर कब्जा दिया गया था। प्रतिवादी का आवंटन 1989 का है और यह सम्भव नहीं है कि पूर्व में 1975 में गोपाल को आवंटित भूमि पर प्रतिवादी को भी कब्जा दिया गया हो। फिर प्रतिवादी द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया है कि उसे उक्त खसरा नम्बर 4053 में से 5 बीघा का कब्जा किस स्थान पर दिया गया। निश्चित रुप से प्रतिवादी को आवंटित खसरा नम्बर 4053/4 वादीगण के कब्जे–काश्त की खसरा नम्बर 4053/1 से भिन्न भूमि है। अगर राजस्व विभाग के नक्शा में पुख्ता तरमीम नहीं की गयी है तो इसके लिये वादीगण जिम्मेदार नहीं है और राजस्व विभाग की इस त्रुटि का दण्ड वादीगण को नही दिया जा सकता है। अन्यथा सबूत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यही माना जावेगा कि दिनांक 20–11–1975 के दखलनामा के सलंग्न तरमीमसुदा नजरी नक्शा प्रदर्श–6 अनुसार ही वादीगण के पिता/पति गोपाल को कब्जा दिया गया था, जिस पर आज भी वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण की उक्त भूमि पर दखलन्दाजी करने का प्रतिवादी ब्रजलाल को कोई अधिकार नहीं है। हमारे इस विवेचन का सारांश यह है कि विवाद्यक संख्या 1 के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय का निर्णय सही है और ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पर आधाररित है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी–1 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजात भी इससे भिन्न निष्कर्षांकन का आधार नहीं हो सकते हैं।

विवाद्यक संख्या–3:– **आया वादी संख्या–1 के पिता ने व वादी संख्या–2 के पति गोपाल बैरवा देई को दिनांक 20–11–1975 को 8 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि आवंटित हुई थी तथा कब्जा सम्भला दिया था। खसरा नम्बर 4053 का रकबा बड़ा था इस कारण इस नम्बर में सबसे पहले गोपाल को ही आवंटित हुई थी व कब्जा दिया गया जिसको बटा नम्बर 4053/1 डाला गया था, गोपाल का देहान्त हो गया उसके बाद वादी संख्या 1 व 2 उनके वैध उत्तराधिकारीगण होने से कृषि भूमि का बहैसियत खातेदार है। (जिम्मे वादी)**

इस न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 के सम्बन्ध में की गयी विवेचना से यह साबित है कि वादीगण वादग्रस्त खसरा नम्बर 4053/1 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा के अभिलिखित खातेदार हैं। यह खसरा नम्बर 4053/1 वादीगण के पिता/ पति गोपाल को आंवटित किया गया था और उसका कब्जा भी दखलनामा प्रदर्श–6 द्वारा उक्त गोपाल को दिया गया था। गोपाल के उत्तराधिकारीगण के रुप में वर्तमान में वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार हैं। विचारण न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक बाबत किये गये निर्णय से यह न्यायालय सहमत है।

विवाद्यक संख्या–5:– **आया ग्राम देई में प्रतिवादी संख्या 1 ब्रजराज के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 4053/4 रकबा 5 बीघा है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी नयी 1352 में हो रहा है। मिटटी का डोल 10 वर्षों से लगा रखा है काबिज व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)**

इस न्यायालय द्वारा विवाद्यक सख्या–1 की विवेचना के दौरान ही अपना मत अंकित कर दिया गया है कि प्रतिवादी को 1989 में खसरा नम्बर 4053/4 की 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी यह साबित करने में असफल है कि उसे उक्त 5 बीघा भूमि का कब्जा किस स्थान पर दिया गया था। हमारा यह मत है कि 1989 में आवंटित खसरा नम्बर 4053/4 की भूमि 1975 में आवंटित खसरा नम्बर 4053/1 की भूमि नही है। अतः इस विवाद्यक पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय सही और समर्थनीय है।

12— विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि वादी द्वारा अपने वाद में तरमीम बाबत कोई अनुतोष नहीं मांगा था, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी के वाद—पत्र से परे जाकर तरमीम किये जाने का भी आदेश दिया गया है जो गलत हैं। हमारा मत है कि प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर व न्यायहित में आवश्यक होने पर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार न्यायालय द्वारा ऐसी प्रासंगिक अनुतोष प्रदान की जा सकती है जिसके लिये अनुरोध भी नहीं किया गया हो। अतः विद्वान अभिभाषक की यह आपत्ति खारिज की जाती है।

13— उपरोक्तानुसार विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि वादीगण विचारण न्यायालय में अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहे हैं और वादीगण के वाद को डिक्री करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी थी। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य व दस्तावेजात की विवेचना किये बिना विचारण न्यायालय के विधि संगत निर्णय को उलट कर विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 30—03—2012 अपास्त किये जाने व विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07—07—2011 बहाल किये जाने योग्य है। हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

14— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 71/2011 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 30—03—2012 को एतदद्वारा अपास्त करते हुये विचारण न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नैनवा का निर्णय व डिक्री दिनांक 07—07—2011 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.सी. गुप्ता)
सदस्य

(मूलचंद मीणा)
सदस्य